



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092024-256841
CG-DL-E-02092024-256841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 2, 2024/भाद्र 11, 1946

No. 133]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 2, 2024/BHADRA 11, 1946

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2024

का.नि.आ.133(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1(अ), तारीख 30 जनवरी, 2024 जिसमें कतिपय छावनी बोर्डों के गठन में फेरफार की घोषणा अंतर्विष्ट है, के साथ पठित छावनी अधिनियम 2006 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, उक्त धारा की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा उपदर्शित छावनी बोर्ड के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट सदस्य का नामांकन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 फरवरी, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए या उक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है।

क्र.सं.	छावनी बोर्ड का नाम	छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन छावनी बोर्ड के गठन में सम्मिलित सदस्य के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	दिल्ली	श्री राजेश कुमार गोयल

[फा. सं. 14(5)/2021-रक्षा(क्यू एंड सी)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd September, 2024

S.R.O. 133(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 13 of the Cantonments Act, 2006 read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 1(E) dated the 30th January, 2024, containing the declaration varying the constitution of certain Cantonment Boards, the Central Government hereby notifies the nomination of member specified in column (3) of the Table given below of the Cantonment Board as indicated in column (2) thereof, under clause (c) of sub-section (2) of the said section for a period ending 10th February, 2025 with effect from the date of publication of this Notification or till the constitution of the Board under Section 12 of the said Act, whichever is earlier.

Sl. No.	Name of Cantonment Board	Name of the member constituting the Cantonment Board under clause (c) of sub-section (2) of section 13 of the Cantonments Act, 2006
(1)	(2)	(3)
1.	Delhi	Shri Rajesh Kumar Goel

[F. No. 14(5)/2021-D(Q&C)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.